[2023] 11 एस.सी.आर 583: 2023 आई.एन.एस.सी. 806

वाद विवरण

हरेंद्र राय

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726)

सितंबर 01, 2023

[संजय किशन कौल, अभय एस. ओका और विक्रम नाथ, न्यायमुर्तिगण]

हेडनोट

विचार के लिए मुद्दा: एक हत्या के मामले में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिए जाने और प्रतिवादी संख्या 2 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले के फैसले में धारा 302 और 307 भा.दं.सं के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद, अब विचारणीय मुद्दा प्रतिवादी संख्या 2 पर लगाई जाने वाली सजा का था।

सजा/दंडादेश – हत्या – पहले के फैसले के अनुसार दोषसिद्धि ([2023] 11 एस.सी.आर. 403) – तथ्यों के आधार पर मृत्युदंड उचित नहीं है, और इस तरह जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई – हालांकि, हर्जाने के रूप में जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया – साथ ही, धारा 357-ए सीआरपीसी – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 357 (सी) और 357 ए – दं.प्र.सं, 1860 – धारा 302 और 307 के तहत मुआवजा दिया गया।

अभिनिर्धारित किया: मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1995 की है, जो लगभग 28 वर्ष पुरानी है, मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 को धारा 302 भा.दं.सं के तहत आजीवन कारावास और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 को धारा 307 भा.दं.सं के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 में प्रावधान है कि जब भी सजा के रूप में जुर्माना लगाया जाता है, तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय, वसूले गए जुर्माने के पूरे या आंशिक रूप को उसके उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) के अनुसार लागू करने का आदेश दे सकता है। खंड (ए) अभियोजन में हुए खर्चों को वहन करने का प्रावधान करता है। यह न्यायालय राज्य को ऐसा कोई भी खर्च देने के लिए इच्छुक नहीं है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्य ने वास्तव में मामले में निष्पक्ष रूप से अभियोजन नहीं किया, बल्कि पूरे समय आरोपी की सहायता की। खंड (बी) और (डी) भी दं.प्र.सं के दायरे में नहीं आएंगे, हालांकि, खंड (सी) के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के आचरण पर विचार करते हुए, पीड़ित के परिवार, दो मृतकों और घायलों को हुई मानसिक, शारीरिक और वित्तीय क्षति के अलावा, निर्धारित जुर्माना क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना चाहिए। राज्य के आचरण और पीड़ित के परिवार द्वारा झेले गए आघात और उत्पीड़न की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, धारा 357 दं.प्र.सं के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति के अलावा धारा 357-ए दं.प्र.सं के तहत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। [पैरा 5, 6 और 7]

आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित मामले का विवरण

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: 2015 की आपराधिक अपील सं. 1726

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 02.12.2011 के 2009 का सीआरआरपी सं. 1345 के निर्णय एवं आदेश से

उपस्थिती:

अभय कुमार, शगुन रुहिल, रजत खत्री, सुश्री कुसुम पांडे, सौरभ मिश्रा, सुश्री नीतू जैन गौतम, सुश्री नीतू जैन, सुश्री अनामिका, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण

आर. बसंत, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, देवाशीष भारुका, सुश्री सर्वश्री, शोभित द्विवेदी, सुश्री स्वाति मिश्रा, नीरज शेखर, सनी चौधरी, मनोज कुमार, सुश्री निशी कश्यप, शशि भूषण सिंह, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायमुर्ति

1. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 को बरी करने के फैसले को 18 अगस्त, 2023 के फैसले के तहत पलट दिया गया और प्रतिवादी संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता, 1860[1] की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया। उसी आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को हिरासत में लेने और सजा पर सुनवाई के लिए आज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया।

2. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 2023 की आपराधिक विविध सं. 169246 दायर किया गया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उसे उसकी स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी जाए और वह पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आपराधिक विविध की अनुमति दी जाती है।

---

1 भा.दं.सं

प्रतिवादी संख्या 2 जेल से वर्चुअल रूप से उपस्थित है और उसका प्रतिनिधित्व उसके वकील द्वारा किया जा रहा है।

3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1995 की है, जो लगभग 28 वर्ष पुरानी है, मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा, इसलिए हम प्रतिवादी संख्या 2 को धारा 302 भा.दं.सं के तहत आजीवन कारावास तथा 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 को धारा 307 भा.दं.सं के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने का वितरण थोड़ी देर बाद दर्शाया जाएगा। दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी।

5. मामले के चौंकाने वाले तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित राशि का जुर्माना लगाया गया है, जिन पर विस्तार से विचार किया गया है और 18 अगस्त, 2023 के फैसले में निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[2] की धारा 357 में यह प्रावधान है कि जब भी दंड के रूप में जुर्माना लगाया जाता है, तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय, वसूले गए जुर्माने के पूरे या आंशिक हिस्से को उपधारा (1) के खंड (ए) से (डी) के अनुसार लागू करने का आदेश दे सकता है। खंड (ए) अभियोजन में किए गए खर्चों को वहन करने का प्रावधान करता है। हम राज्य को ऐसा कोई भी खर्च देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि राज्य ने वास्तव में मामले में निष्पक्ष रूप से मुकदमा नहीं चलाया, बल्कि पूरे मामले में अभियुक्त की सहायता की। खंड (बी) और (डी) भी लागू नहीं होंगे, हालांकि, खंड (सी) के तहत अभियुक्त संख्या 2 के आचरण पर विचार करते हुए, पीड़ित के परिवार, दो मृतकों और घायलों को हुई

---

2 दं.प्र.सं

मानसिक, शारीरिक और वित्तीय क्षति को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि निर्धारित जुर्माना निम्नलिखित तरीके से हर्जाने के रूप में भुगतान किया जाए:

क) हम मृतक राजेंद्र राय और दरोगा राय के कानूनी उत्तराधिकारियों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देते हैं। विचारण न्यायालय दोनों मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में प्रारंभिक जांच करेगा और उत्तराधिकार कानून के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारियों को राशि वितरित की जाएगी।

ख) इसी प्रकार, धारा 307 भा.दं.सं के तहत दिए गए जुर्माने की राशि 5 लाख रुपये विचारण न्यायालय द्वारा पीड़िता को उसी तरह वितरित की जाएगी यदि वह जीवित है और यदि नहीं, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को।

7. 18 अगस्त, 2023 के फैसले में राज्य के आचरण और पीड़ित परिवार द्वारा झेले गए आघात और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि धारा 357 दं.प्र.सं के तहत दिए गए हर्जाने के अलावा धारा 357-ए दं.प्र.सं के तहत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिहार राज्य दोनों मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों और घायलों (यदि वे जीवित हैं तो) को ऊपर दिए गए जुर्माने की राशि के बराबर मुआवजा देगा, यानी मृतक राजेंद्र राय और दरोगा राय के कानूनी उत्तराधिकारियों को 10-10 लाख रुपये और घायल श्रीमती देवी या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपये, जैसा भी मामला हो। इस तरह जमा की गई राशि उसी तरह वितरित की जाएगी जैसा कि धारा 357 दं.प्र.सं के तहत हर्जाने के वितरण के लिए ऊपर प्रदान किया गया है।

8. उपरोक्त आदेश के अनुसार जुर्माना और मुआवज़ा की राशि आज से दो महीने के भीतर विचारण न्यायालय में जमा की जानी चाहिए, अन्यथा विचारण न्यायालय द्वारा इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। अपील का निपटारा उपरोक्त अनुसार किया जाता है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा चार महीने के भीतर इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यदि अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो रजिस्ट्री उसे प्रसारित करेगी और यदि निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं की जाती है तो मामले को निर्देशों के लिए कार्यालय रिपोर्ट के साथ सूचीबद्ध किया जा सकता है।

हेडनोट्स तैयार किये गये: **अपील का निपटारा किया गया।**

बिभूति भूषण बोस